an>

title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

HON. SPEAKER: Papers to be laid on the Table.

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) : महोदया, श्रीमती सुषमा स्वाराज की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2014-15 के लेखापरीक्षित लेखाओं के बारे में सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4887/16/16]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदया, मैं केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 4888/16/16]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) : महोदया, मैं हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 41 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का0आ0 1258(अ) जो 30 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची के जोन-III में 'तेलंगाना' राज्य को शामिल किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 4889/16/16]